# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

**अपील संख्या 35/2016 जिला दौसा ।**

1. मोती लाल पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राहमण निवासी सलेमपुर तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

**अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1. मु. गीता पुत्री मूल्या पत्नि प्रभूलाल जाति ब्राहमण निवासी लालसोट जिला दौसा।
2. मु. सावित्री पुत्री मूल्या घनश्याम जाति ब्राहमण निवासी डिंडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

**रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.09.2015 तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा बाबत नामान्तकरण संख्या 390 ग्राम पंचायत सलेमपुर तहसील लालसोट जिला दौसा अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75**

**उपस्थित–**

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंटस संख्या–03

**निर्णय**

**दिनांक–19.01.2021**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 22.09.2015 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 17.11.2015 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 390 ग्राम पंचायत सलेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में मृतक खातेदार श्री आन्या पुत्र छोटे लाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 390 ग्राम पंचायत सलेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा दिनांक 24.11.2010 निरस्त फरमा दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा में प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा शीर्षक अपील मोतीलाल बनाम मु. गीता देवी निर्णय दिनांक 05.10.2011 द्वारा स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 24.11.2010 को निरस्त फरमाया गया तथा अधिनस्थ तहसीलदार लालसोट को रिमांड किया गया।
2. ग्राम सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा के अधीन होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 05.10.2011 की अनुपालना में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 22.09.2015 के द्वारा आन्या पुत्र छोटेलाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 390 के संबंध में ग्राम पंचायत सलेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2010 को सही मानते हुये किसी प्रकार का परिवर्तन नही करने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह

(सेवा राम चौधरी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचावरा जिला दौसा दिनांक 22.09.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटन संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पोडेंट 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. बहस में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित नामान्तकरण संख्या 390 ग्राम पंचायत सलेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में मृतक खातेदार आन्या पुत्र छोटेलाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 390 ग्राम पंचायत सलेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा दिनांक 24.11.2010 निरस्त किया गया। ग्राम पंचायत के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा में प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा शीर्षक अपील मोतीलाल बनाम मु. गीता देवी निर्णय दिनांक 05.10.2011 द्वारा स्वीकार कर ग्राम पंचायत सलेमपुर द्वारा जारी आदेश 24.11.2010 को निरस्त फरमाया गया तथा अधिनस्थ तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को रिमांड कर दिया गया। ग्राम सलेमपुर की तहसील परिवर्तित होकर तहसील रामगढ पचवारा के अधिनस्थ हो जाने के कारण तहसीलदार लालसोट में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित हुआ। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचावरा जिला दौसा द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.9.2015 को नही बल्कि दिनांक 27.10.15 को पारित किया गया है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.9.2015 विधि, प्रकिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्वांतो के विपरित पारित किया गया है। प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो ने अपीलांट के पक्ष में अपना हक त्याग कर इस आशय के शपथपत्र पूर्व में प्रस्तुत कर दिये गये थे। नामान्तकरण की सुनवाई के दौरान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा ने प्रत्यर्थीगण को तलब नही किया या। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा ने उन्हे बिना सूचना उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अपीलांट स्व. आन्या की भूमि पर उनके जीवनकाल से काश्त करता आ रहा है। प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो जो स्व. मूल्या की पुत्रियां है, नामान्तकरण में अंकित भूमि को उनके द्वारा कभी काश्त नही किया गया और न वे आराजी नामान्तकरण अपने नाम खुलवाना व तस्दीक करवाना चा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे तथा प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.09.2015 निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2015 का है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 27.10.2015 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट सं0 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2015 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

7. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मियाद के संबंध में

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार आन्या पुत्र छोटेलाल की मृत्यु होने पर विरासत के नामांतरकरण का है। आन्या पुत्र छोटेलाल के फौत होने पर ग्राम पंचायत सलेमपुर द्वारा विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 390 दिनांक 24.11.2010 को निरस्त किया गया। ग्राम पंचायत सलेमपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रश्नगत नामांतरकरण 390 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 05.10.2011 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 390 ग्राम पंचायत सलेमपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.11.2010 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण आन्या पुत्र छोटेलाल की विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया गया। ग्राम सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा के अधीन होने के कारण तहसीलदार रामगढ पचावरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय की अनुपालना में मृतक खातेदार आन्या पुत्र छोटेलाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 390 जो ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निरस्त किया गया है, में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किये जाने के आदेश दिनांक 22.09.2015 को पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट मृतक खातेदार आन्या पुत्र छोटेलाल की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 390 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2015 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner